महत्वपूर्ण एवं खास

बरमकेला में नियुक्त पीठासीन अधिकारी में आंशिक संशोधन के गठन

» संदीप पोयाम की जगह राकेश कुमार वर्मा होंगे बरमकेला के पीठासीन अधिकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्थायी समितियों (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियों और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) के प्रयोजन हेतु पीठासीन अधिकारी एवं सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। जिसमें जनपद पंचायत बरमकेला में सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला संदीप पोयाम को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब जनपद पंचायत बरमकेला के लिए नायब तहसीलदार बरमकेला राकेश कुमार वर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

ग्राम चिराईपानी (प) में शा.उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए

»11 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। विकासखण्ड के ग्राम पंचायत चिराईपानी (प) में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु नये संचालनकर्ता की नियुक्ति की जानी है। जिसके लिए 11 मार्च 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्राथमिक कृषि शाखा समिति, स्थानीय नगरीय निकाय, वन सुरक्षा समिति, अन्य सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह अपना आवेदन 11 मार्च तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, रायगढ़ में जमा कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

कारखानों स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु होगी 60 वर्ष

» आयु वृद्धि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)नियम 1963 के अंतर्गत जिले में चल रहे समस्त औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित किया गया है कि कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। शासन द्वारा न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का पालन नहीं करने वाले स्थापनाओं एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित कारखानों एवं स्थापनाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शासन के सेवानिवृत्ति की आयु की वृद्धि किए जाने के संबंध में सचिव श्रम के निर्देशों के अनुरूप रायगढ़ जिले में जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़, इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, कोटमार, रायगढ़ मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, नहरपाली, रायगढ़ जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, पतरापाली, रायगढ़ नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ सिंघल इंटरप्राईजेस प्रा.लि.तराईमाल, रायगढ़ एस.के.एस.पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, रायगढ़ एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़ राधे गोविंद स्टील एण्ड एण्ड एलॉस प्रा.लि., रायगढ़ राम हाई-टेक स्टील एण्ड पावर प्रा.लि. हनुमान इस्पात, रायगढ़ गंगा इस्पात प्रा.लि., रायगढ़ युरेका आयरन एण्ड एनर्जी प्रा.लि., रायगढ़ बालाजी इंडक्शन फर्नेस प्रा.लि.रायगढ़, नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लि.रायगढ़, जियोन स्टील प्रा.लि.रायगढ़, जगन्नाथ स्टील एण्ड एलॉस को परिपत्र जारी कर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में निर्देशित किया गया है।

सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। अनुविभाग अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ एवं पुसौर की अनुशंसा पर मृतक के वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। एसडीएम कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के ग्राम-बादीमाल निवासी संतोष कुमार गुप्ता की 5 दिसम्बर 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पुत्र एस.के.प्रकाश गुप्ता को 25 हजार रुपए तथा तहसील पुसौर ग्राम-कोड़तराई के पारसमणी सारथी की 8 मई 2019 सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता घुराउ राम सारथी को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता ही है बचाव का साधन- कलेक्टर

» अंतर्विभागीय बैठक सह कार्यशाला आयोजित » कलेक्टर ने विभागों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संबंध में अंतर्विभागीय बैठक सह कार्यशाला का आयोजन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने विभागीय अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को स्कूल, कालेजों में जागरूकता शिविर लगाने तथा स्वास्थ्य विभाग को रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व शहर व जिले के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स व बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने कहा गया। सीएमएचओ को रेलवे विभाग से समन्वय कर रेलवे स्टेशन में एक कंट्रोल रूम की स्थापना तथा स्वास्थ्य विभाग की इमरजेंसी हेल्प डेस्क लगाने तथा कोरोना वायरस की जांच के लिए जरूरी वीटीएम किट तथा पर्सनल प्रोटेक्शन किट की पर्याप्त व्यवस्था रखने के लिए निर्देशित किया गया। मेडिकल कालेज के अतिरिक्त अन्य शासकीय व निजी चिकित्सालयों में आईसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए। सेम्पल कलेक्शन के लिए टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजिस्ट डॉ.राकेश कुमार को निर्देशित किया गया। उद्योग विभाग के अधिकारी को जिले के सभी उद्योगों की बैठक लेकर उनके सभी कर्मचारियों विशेषकर पिछले दिनों बाहर से लौटे कर्मचारियों के अनिवार्य स्वास्थ्य जांच करवाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली, जयपुर तथा आगरा शहरों की यात्रा से लौटे व्यक्ति में यदि सर्दी, खांसी, बुखार या निमोनिया जैसे लक्षण है तो तत्काल जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज में इलाज कराने पहुंचे। साथ ही कलेक्टर यशवंत कुमार ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रहे आधारहीन अफवाहों से दूर रहे। किसी भी तरह की शंका या दुविधा की स्थिति में जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई के दूरभाष नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते है। बैठक में मेडिकल कालेज रायगढ़ के डॉ.गणेश पटेल, डॉ.अनमोल मिंज तथा डॉ.राकेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को कोरोना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए, जनजागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना का संक्रमण सामान्य सर्दी-खांसी से शुरू होकर पूरे शरीर पर अपना असर दिखाता है।

युवती के गले से सोने के चैन छीनकर भागे चोर एफआईआर दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेल्वे कालोनी रायगढ़ में दिनांक 04/03/2020 को रहने वाली श्रीमती पी ज्योति मई अपने पडोसी शांति देवी और कल्पना साहू के साथ शाम करीब 07:00 बजे रेल्वे कालोनी के आस पास पैदल टहलते हुए रेल्वे स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी पीछे की ओर से एक मोटर सायकल में सवार 02 व्यक्ति जो हेलमेट पहने हुये थे, आकर श्रीमती पी ज्योति मई के गले में पहने हुये सोने के चेन को खीचकर भाग गये, घटना अचानक होने से महिलाओं ने इस लुटेरों के बाईक का नम्बर देख नहीं पाये। लूट की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 214/2020 धारा 392 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली पुलिस प्रत्यक्षदर्शी गवाहों तथा आसपास के दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकाला जा रहा है, मुखबिर सक्रिय हैं आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

परीक्षा देने घर से निकला बालक लापता एफआईआर दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड में दिनांक 05.03.2020 को 17 वर्षीय बालक के पिता द्वारा बालक के परीक्षा देकर नहीं लौटने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराया गया है। बालक के पिता ने बताया कि दिनांक 04.03.2020 के सुबह करीब 8:15 बजे बालक स्कूल ड्रेस पहनकर परीक्षा देने घर से निकला है, शाम रात तक वाला घर नहीं पहुंचा तो आसपास पता तलाश किए, कहीं पता नहीं चला। बालक के पिता के रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड में अपराध क्रमांक 36/2020 धारा 363 ता.हि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

दो ट्रेलर के एक्सीडेंट में चालक इंजन बॉडी में फंसा

न्याय साक्षी/रायगढ़। तमनार गोढी में दिनांक 05.03.2020 को मेन रोड पर 2 ट्रेलर के एक्सीडेंट होने पर एक ट्रेलर का चालक इंजन बॉडी में फस गया था जिसके लिए डायल 112 तमनार राइनो को रोड एक्सीडेंट का इवेंट सुबह 6:30 बजे मिला। रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर आरक्षक लोरिक सोनी, वाहन चालक कालिया गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचा।ट्रेलर का चालक कृष्णा यादव पिता तुलसी यादव निवासी औरंगाबाद हाल मुकाम विनोबानगर रायगढ़ इंजन बॉडी में बुरी तरह फंसा था जिसे अन्य वाहन से टोचन देकर किसी तरह बॉडी से बाहर निकाले और आहत को सीएचसी तमनार इलाज के लिए भर्ती कराये।

सतीगुड़ी चौक पर रात्रि 3:00 बजे अकेले घूम रहे बालक के लिए राइनो को इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली राइनो-1 को दिनांक 05.03.2020 के रात्रि 3:20 बजे चाइल्ड ऑफिस का इवेंट मिला। इवेंट पर सतीगुड़ी चौक पहुंची डायल 112 आरक्षक सुरेश मिंज को 8 साल का बालक मिला। बालक ने अपना नाम नहीं केवट पिता साधु राम केवट निवासी झगरपुर थाना लैलूंगा का होना बताया। बालक ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ रायगढ़ आया था उनके दोस्त चले गए है। बालक ने घर जाना बताया जिस पर आरक्षक ने ईआरवी वाहन में बिठाकर बालक को बालमित्र थाना कोतवाली ले जाकर महिला डेस्क में थोड़ी देर बिठाया। कोतवाली स्टाफ द्वारा बालक के परिजनों को सूचना दिया गया है

दीवाल को सेंध मारकर नगदी रकम 45 हजार रूपये चोरी जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। गंज पीछे सिंधी कालोनी खरसिया में रहने वाले राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल की छड़ सिमेंट की दुकान है। प्रतिदिन की तरह दिनांक 04.03.2020 के रात्रि करीब 07:00 बजे राजेन्द्र अग्रवाल अपनी दुकान बंद कर घर चले गये थे। रात्रि कोई अज्ञात चोर दुकान के बगल का दीवाल को सेंध मारकर दुकान अंदर प्रवेश कर गल्ले में रखा नगदी रकम एवं कुछ जेवरात जुमला कीमती 45 हजार रूपये को चोरी कर ले गया था। चोरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 121/2020 धारा 457,380 भादवि दर्ज किया गया है। गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के मौहापाली रोड स्थित शीतल सेल्स दुकान एवं युनियन बैंक स्थित ए.टी.एम. में चोरी के प्रयास की घटना को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा गंभीरतापूर्वक लेते हुए एस.डी.एस.पी. खरसिया को शीघ्र माल मुल्जिम की पतासाजी कर शत प्रतिशत मशरूका बरामदगी के निर्देश दिये हैं। एस.डी.ओ.पी. खरसिया के नेतृत्व में खरसिया पुलिस द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज आधार पर संदिग्धों से पूछताछ किया जा रहा है। वहीं एक ओर सम्पत्ति सम्बधी अपराधों में चालान हुए आरोपियों से पूछताछ जारी है।

» अधिकारियों ने जिला चिकित्सालय के सामने किया वृक्षारोपण

प्रदूषण से राहत के साथ शहर सौंदर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण है जरूरी-कलेक्टर

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिला अस्पताल के सामने शहर सौंदर्यीकरण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भी साथ रहे। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इस मौके पर कहा कि जिला अस्पताल के सामने नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर दुकाने संचालित हो रहीं थी।

जिससे नालियों की सफाई नही हो पा रही थी और अस्पताल में विभिन्न रोगों के संक्रमण का खतरा बना रहता था और शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव बन रहा था। इन दुकानों को कब्जा मुक्त करवाकर हटाया गया तथा यहां वृक्षारोपण किया गया है। जिससे नालियों की सफाई व ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। प्रदूषण का स्तर घटेगा व स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर सुंदर और व्यवस्थित होगा। उन्होंने बताया कि आगे शहर में अन्य जगहों को भी चिन्हांकित कर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि यह शहर का मुख्यमार्ग है, इसके कब्जामुक्त होने से इस मार्ग पर पड़ने वाले ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वृक्षारोपण किये जाने से यहां की हरियाली और सुंदरता बढ़ेगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कलेक्टर यशवंत कुमार को गोपी टाकीज के बाजू में निर्माण होने वाले गार्डन तथा केलो पुल के नीचे ट्रेफिक सुधार के लिए बनने वाली सड़क की रूपरेखा बतायी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। वृक्षारोपण के अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन एवं पार्षद महेश कंकरवाल ने भी पौधे लगाये। साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। वृक्षारोपण के अवसर पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

थल सेना भर्ती हेतु युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण

11 मार्च से 14 अप्रैल तक रायगढ़ स्टेडियम में दिया जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। विकासखण्ड के युवाओं के लिये थल सेना में भर्ती हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के संबंध में जनपद सी.ई.ओ.रायगढ़ सागर सिंह राज की अध्यक्षता में 5 मार्च 2020 को जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक संचालक खेल संजय पॉल भी शामिल हुए।

बैठक में अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यों का प्रभारी बनाया गया। प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामों में मुनादी, पॉम्प्लेट वितरण जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा शारीरिक एवं लिखित परीक्षा हेतु प्रशिक्षित पी.टी.आई. की ड्यूटी लगाई जाएगी। खेल विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को गुड़ और चना वितरित किया जाएगा। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 11 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा। 01 अप्रेल से 14 अप्रेल तक लिखित परीक्षा हेतु कक्षाएं लगाई जायेंगी। शारीरिक प्रशिक्षण, रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य युवक रायगढ़ स्टेडियम प्रभारी मुकेश चटर्जी, बोईरदादर (मोबाईल नं. 9589955820) से संपर्क कर प्रशिक्षण हेतु अपना पंजीयन करवा सकते है। युवाओं के लिए भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर बी.ई.ओ.रायगढ़ धृतलहरे, जिला खेल अधिकारी डी.के.खैरवार, स्टेडियम प्रभारी मुकेश चटर्जी, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स प्रभारी चंद्रमणी गुप्ता शामिल थे।

10 हजार रूपये नगद के साथ 04 जुआरी पकड़ाये

» ग्राम चिमटापानी जंगल में घरघोड़ा पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही

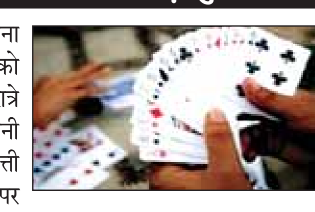

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा में दिनांक 04.03.2020 को पदस्थ प्रधान आरक्षक आशिक राते एवं हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम चिमटापानी जंगल में कुछ जुआड़ियों द्वारा 52 पत्ती तास से जुआ खेलने की सूचना पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया, जिसमें जुआडीयान 1. महेन्द्र कुमार साहू पिता आनंद राम उम्र 31 वर्ष सा0 रापागुला थाना सारंगढ 2. मिलन दास महंत पिता सहनू दास महंत उम्र 26 वर्ष सा0 साल्हेपाली 3. रामचरण राठिया पिता गोविंद राठिया उम्र 35 वर्ष सा0 डंगबीरा थाना लैलूंगा 4. राज कुमार पैंकरा पिता नान्हू पैंकरा उम्र 40 वर्ष सा0 चारभांठा थाना घरघोडा 52 पत्ती तास से काट पत्ती नामक जुआ खेलते पकड़े गए जिनके पास से 7950 रूपये एवं फड से 2100 रूपये कुल जुमला रकम 10,050 रूपये व 52 पत्ती तास एवं एक प्लास्टिक का बोरा जप्त किया गया है। जुआरियों के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोईंग में मितानिनों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोईंग में आज मितानिनों को ब्रिज प्रशिक्षण और टीकाकरण के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने सभी मितानिनों को अपने संबंधित ग्राम पंचायत के गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली मेडिकल किट के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में 35 मितानिनों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ.पी.एस.पटेल, यू.आर.पटेल, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मितानिनगण उपस्थित थे।

मोटर सायकल की डिक्की से 40 हजार रूपये की उठाईगिरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रिपोर्टकर्ता घनश्याम राठिया निवासी ग्राम पोस्ट विजय नगर थाना कापू द्वारा दिनांक 04/03/2020 को थाना धर्मजयगढ़ में उसके मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे रू. 40000 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। घनश्याम राठिया ने बताया कि दिनांक 04.03.2020 बुधवार को धरमजयगढ़ अपेक्स बैंक से 40,000 (चालीस हजार रूपये) निकालकर गाडी डिक्की में रखकर नास्ता करने बस स्टैंड के पास शारदा होटल चला गया था कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो डिक्की में रखे रुपए नहीं थे, चोरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 26/2020 धारा 379 ताहि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

दो अलग-अलग मामलों में कर्तव्य में कोताही बरतने वाले 07 पुलिसकर्मी निलंबित

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 05.03.2020 को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने वाले 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जिले में पदस्थापना के बाद अच्छे कार्यों के लिए अधिकारी/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां एक ओर कॉप ऑफ द मंथ जैसे पुरस्कारों से कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है वहीं कर्तव्य पर लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस अधीक्षक सख्त है।

वहीं दूसरी ओर थाना सरिया दिनांक 15.02.2020 को स्टाफ द्वारा ओडिशा कंचनपुर रोड पर अवैध रूप से चार पहिया वाहन में गांजा तस्करी कर रहे दो आरोपियों को पकड़ कर उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया था।आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाना था जिन्हें रात्रि में थाना सरिया में सुरक्षित रखा गया था एवं जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।रात्रि थाने में पुलिस अभिरक्षा से दोनों आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी को पकड़ा गया वहीं एक फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

आरोपियों के अभिरक्षा दौरान ड्यूटीरत 1-आरक्षक बंसीलाल राते 2-आरक्षक अजय साय थाना सरिया द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरतना प्रथम दृष्टया पाए जाने पर निलंबित किया गया है। वहीं घरघोड़ा दिनांक 04.03.2020 को मुलजिम पेशी कराकर शासकीय वाहन से वापस जिला जेल आ रहे सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से दो मुलजिम केलो डेम के पास रोड ब्रेकर में वाहन धीमी होने से वाहन में लगे सुरक्षा जाली को तोड़कर वाहन से कूद कर भाग गए। ततसमय सुरक्षारत पुलिसकर्मी 1- प्रधान आरक्षक तेनतियुस एक्का 2- आरक्षक वीरेंद्र तिर्की 3- आरक्षक विपिन किशोर खलखो तीनों रक्षित केंद्र रायगढ़ एवं 4- आरक्षक विरेंद्र कुमार 5- आरक्षक बच्चन साय खलखोक थाना पूंजीपथरा को आरोपियों की पतासाजी में लापरवाही बरतना पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उपरोक्त सभी कर्मचारियों का निलंबन अवधि में मुख्य रक्षित केंद्र रहेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-